कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांकः 169 /का0ब0वि0प्रा0/2018–19 दिनांकः 28.02.2019

सम्पूर्ति एवं काबिज होने का प्रमाण–पत्र

प्रबन्धक/अध्यक्ष
एस0एस0डी0 एजुकेशनल वैलफेयर सोसाइटी
167/4, जनकपुरी, बरेली।

विषयः एस0एस0डी0 एजुकेशनल वैलफेयर सोसाइटी, बरेली द्वारा बरेली विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत निर्मित भवन मैस्कट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गाटा सं0 841 ग्राम रिठौरा, बरेली के भवन निर्माण पूर्ण कर उपरोक्त सोसाइटी द्वारा काबिज होने/कब्जा लेने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र जारी करने के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्रांक शून्य दिनांक 22.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें आपके द्वारा बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नवनिर्मित भवन निर्माण पूर्ण कर सम्बन्धित संस्था द्वारा सम्पूर्ति एवं कब्जा लेने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र जारी करने का अनुरोध निर्धारित परिशिष्ठ–06 पर आपके द्वारा किया गया है।

उक्त विषय में अवगत कराना है कि उपरोक्त अनुरोध के आधार पर निर्धारित परिशिष्ठ–06 पर आपके द्वारा दी गयी सूचनाऐं संलग्न प्रपत्रों एवं वास्तुविद श्री अनिल सक्सेना (CA7315/82) के प्रमाण पत्र के क्रम में सम्बन्धित भवन का परीक्षण कराया गया। संस्था के सदस्य श्री सुधीर महरोत्रा द्वारा वास्तुविद अनिल सक्सेना द्वारा बनाये गये तथा बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा पत्रांक 57/का0ब0वि0प्रा0/2018–19 दिनांक 23.01.2019 द्वारा स्वीकृत मानचित्र को निरीक्षण के अवसर पर क्षेत्रीय अवर अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की दिनांक 25.02.2019 की आख्या के अनुसार स्वीकृत मानचित्र का कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 6320 वर्ग मीटर है। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भूतल 1413.39 वर्ग मीटर, प्रथम तल 1321.51 वर्ग मीटर व द्वितीय तल 1321.51 वर्ग मीटर का निर्माण पूर्ण है। मानकानुसार सैटबैक की व्यवस्था भी की गयी है। भवन निर्माण में एन.बी.सी. मानकों का अनुपालन किया गया है। अग्निशमन एवं अग्नि सुरक्षा मानकों की भी समुचित व्यवस्था की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की जांच आख्या के अनुसार सम्बन्धित संस्था के निर्मित भवन मैस्कट कॉलेज ऑफ फार्मेसी गाटा संख्या 841 ग्राम रिठौरा, बरेली पर भूतल 1413.39 वर्ग मीटर, प्रथम तल 1321.51 वर्ग मीटर व द्वितीय तल 1321.51 वर्ग मीटर का निर्माण पूर्ण कर सम्बन्धित संस्था के सम्पूर्ति एवं काबिज होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 27.02.2019 को निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है।

शर्त :-

1. कि यह प्रमाण–पत्र उपरोक्त संस्था के स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर काबिज होने हेतु ही मान्य है।
2. कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार तृतीय तल एवं चतुर्थ तल का निर्माण पूर्ण होने पर अलग से कब्जा लेने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र बरेली विकास प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी से पुनः प्राप्त करना होगा।
3. कि अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी मानकों की निरन्तरता को बनाये रखना होगा।
4. स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं सुरक्षा सम्बन्धी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकारण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया जायेगा।
6. उक्त भूमि में निर्मित भवन एवं अवशेष भू–भाग का उपयोग नैस्कट कालेज ऑफ फार्मेसी के लिए ही किया जायेगा।
7. कि स्वीकृत मानचित्र से विरत निर्माण करने पर उपरोक्त काबिज होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही प्राधिकरण के नियमानुसार की जायेगी।
8. कि भविष्य में भूमि सम्बन्धी किसी विवाद के उत्पन्न होने पर बरेली विकास प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं स्वीकृत मानचित्र तथा काबिज होने का प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

सचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली